Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

No.C/11/2006-MPLADS

Dated 1st May,2008

To

All Nodal District Authorities
(District Collectors/ Dy. Commissioners/ District Magistrates/
Commissioners of Municipal Corporations/
CEOs of District Planning Committees).

Subject :- **MPLADS- Development of Areas inhabited by Scheduled Castes and Scheduled Tribes-regarding.**

Sir / Madam,

I am directed to invite your attention to Para 2.5 of MPLADS Guidelines,2005 wherein it has been laid down that the MPs are to recommend every year such works costing at least 15% of MPLADS fund for areas inhabited by Scheduled Caste population and 7.5% for areas inhabited by Scheduled Tribe population. In other words, permissible works costing not less than Rs. 30 lakh out of the annual allocation of Rs. 2 crore per MP shall be recommended for areas inhabited by SC population and Rs. 15 lakh for areas inhabited by ST population. In case, a constituency does not have any ST inhabited area, such funds may be utilized in SC inhabited areas and vice-versa. It shall be the responsibility of the District Authority to enforce this provision of the Guidelines. This matter has been discussed in detail in the meeting of Secretaries of States held on 10.4.2008.

2. It has come to the notice of this Ministry that the above stipulation is not being adhered to by the District Authorities. This has also been observed adversely by the Director General of Audit, Central Revenue, New Delhi.

3. It is, therefore, requested that necessary action may be taken to persuade MPs to recommend works for areas inhabited by Scheduled Caste and Scheduled Tribe Population as per the Guidelines on MPLADS, under intimation to this Ministry.

Yours faithfully,

(Dharam Pal)
Dy. Secretary to the Government of India
Tele Fax. No. 23364193

Copy to : Secretaries of Nodal Ministries of all States/UTs.

Member of Parliament Local Area Development Scheme

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

सं. सी/11/2006-एमपीलैड्स

Dated 1 मई, 2008

सेवा में

सभी नोडल जिला अधिकारी
(जिला कलेक्टर/उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट/
आयुक्त, नगर निगम/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला योजना समितियां) ।

विषयः **एमपीलैड्स - अनुसूचित जातियों एवं अनुसुचित जनजातियों के बसावट वाले क्षेत्रों का विकास ।**

महोदय/महोदया,

मुझे एमपीलैड्स दिशा-निर्देश, 2005 के पैरा 2.5 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसमें यह निर्धारित है कि सांसदों को प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के लोगों के बसावट वाले क्षेत्रों के लिए एमपीलैड निधि से न्यूनतम 15% राशि के कार्यों और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बसावट वाले क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 7.5% राशि के कार्यों की अनुशंसा करनी होती है । दूसरे शब्दों में, प्रत्येक सांसद के 2 करोड़ रुपए के वार्षिक आबंटन में से अनुमेय कार्यों के लिए न्यूनतम 30 लाख रुपए के कार्य अनुसूचित जाति की जनसंख्या के एवं 15 लाख रुपए के कार्य अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के बसावट वाले क्षेत्रों के लिए अनुशंसित किए जाएंगें । यदि, किसी निर्वाचन-क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के बसावट वाले क्षेत्र नहीं हैं, तो ऐसी निधि अनुसूचित जाति के बसावट वाले क्षेत्रों में तथा यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र में अनुसूचित जाति के बसावट वाले क्षेत्र नहीं हैं, तो ऐसी निधि अनुसूचित जनजाति के बसावट वाले क्षेत्रों में उपयोग में लाई जाएगी । दिशा-निर्देशों के इस प्रावधान को लागू करने की जिम्मेवारी जिला प्राधिकारी की होगी । इस मामले पर राज्य के सचिवों की 10.4.2008 को हुई बैठक में विस्तार से चर्चा की गई है ।

2. इस मंत्रालय के ध्यान में आया है कि जिला प्राधिकारियों द्वारा उपर्युक्त प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा है । महालेखा परीक्षक, केंद्रीय राजस्व, नई दिल्ली ने भी इस पर प्रतिकूल टिप्पणी की है ।

3. अतः अनुरोध है कि सांसदों से एमपीलैड्स के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के बसावट वाले क्षेत्रों के लिए कार्यो की अनुशंसा करने का अनुरोध किया जाए । इसकी सूचना इस मंत्रालय को भी दी जाए ।

भवदीय,

धर्मपाल

(धर्म पाल)
उप सचिव, भारत सरकार
टेलिफैक्स सं. 23364193

प्रतिलिपिः सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल मंत्रालयों के सचिव ।